



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072026-273961  
CG-DL-E-01072026-273961

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2026/आषाढ 3, 1948

No. 179]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2026/ASHADHA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

शुरुआत की सूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

मामला सं.: एडी(ओआई)- 033/2026

विषय: चीन पीआर, कोरिया आरपी और सिंगापुर से आयातित या वहां से निर्यात किए जाने वाले "कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट्स" के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच शुरू करना।

1. फा. सं. 6/33/2026-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर क्षति के निर्धारण हेतु पाटन-रोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण) नियम, 1995, समय-समय पर यथा संशोधित (जिसे आगे "नियम" या "पाटन-रोधी नियम" कहा गया है), के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (जिसे आगे "वीओएल" या "आवेदक" भी कहा गया है) ने नामित प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर (जिन्हें आगे "संबंधित देश" कहा गया है) से उत्पन्न या निर्यातित "कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स" (जिन्हें आगे "संबंधित वस्तुएं" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटन-रोधी जांच प्रारंभ करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर से संबंधित वस्तुओं के पाटित आयात से घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हो रही है तथा उसने संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने संबंधित आयातों पर अनंतिम शुल्क लगाए जाने का भी अनुरोध किया है।

**क. विचाराधीन उत्पाद**

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स" हैं, जो निम्नलिखित सीएएस संख्याओं अथवा उनके समकक्षों तथा उनके मिश्रणों के अनुरूप हैं:

- क. 6683-19-8, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1010 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम पेंटाएरीथ्रिटोल टेट्राकिस (3-(3,5-डाई-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिल) प्रोपियोनेट) है।
- ख. 2082-79-3, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1076 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ऑक्टाडेसिल-3-(3,5-डाई-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिल)-प्रोपियोनेट है।
- ग. 31570-04-4, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 168 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ट्रिस(2,4-डाई-टर्ट-ब्यूटाइलफेनिल) फॉस्फाइट है।
- घ. 23128-74-7, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1098 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम एन,एन'-हेक्सेन-1,6-डाइइल बिस (3-(3,5-डाई-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिलप्रोपियोनामाइड)) है।
- ङ. 125643-61-0, जिसे एंटीऑक्सीडेंट L135 या 1135 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम बेंजीनप्रोपेनोइक अम्ल, 3,5-बिस (1,1-डाईमेथाइलएथाइल)-4-हाइड्रॉक्सी-, सी7-9-ब्रांच्ड एल्काइल एस्टर्स है।

च. उपर्युक्त (क) से (ङ) में उल्लिखित संबंधित एंटीऑक्सीडेंट्स के मिश्रण।

4. पॉलिमर में प्रयुक्त एंटीऑक्सीडेंट योजक ऑक्सीकरण को रोकने के लिए आवश्यक होते हैं। प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण उच्च तापमान पर किया जाता है, जिसके कारण मूल पॉलिमर प्रभावित होते हैं, क्योंकि वे तापीय ऑक्सीकरण (थर्मल ऑक्सीडेशन) नामक प्रक्रिया के संपर्क में आते हैं। पॉलिमर की स्थिरता बनाए रखने के लिए निर्माण प्रक्रिया के दौरान एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल किया जाता है। इनका प्रमुख रूप से पेट्रोकेमिकल कंपनियों में उपयोग किया जाता है, जो पॉलीओलेफिन्स, स्टाइरीनिक्स, पीवीसी आदि जैसे प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण करती हैं, जहाँ ये स्थिरीकारक/योजक (स्टेबलाइज़र/एडिटिव्स) के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, इनका उपयोग पॉलीओलेफिन्स, स्टाइरीनिक्स, पीवीसी आदि जैसे आधारभूत कच्चे माल का उपयोग करके प्लास्टिक घटकों के निर्माण में तथा रबर, तेल, कोटिंग्स और स्नेहक उद्योगों में दीर्घकालिक स्थिरता एवं टिकाऊपन प्रदान करने के लिए किया जाता है।

5. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि पीयूसी की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित एंटीऑक्सीडेंट्स के विभिन्न रूप एक ही उत्पाद का गठन करते हैं। यह देखा गया है कि यद्यपि इन एंटीऑक्सीडेंट्स की विशिष्ट संरचना और गुणधर्म विशिष्ट अंतिम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भिन्न हो सकते हैं, तथापि ये संबंधित एंटीऑक्सीडेंट्स मुख्य रूप से प्लास्टिक में योजक के रूप में प्रयुक्त होते हैं और इनमें समान कार्यात्मकता होती है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन उपकरण, उत्पादन प्रक्रिया तथा परिणामी विशेषताएँ काफी हद तक समान हैं। प्रत्येक एंटीऑक्सीडेंट के लिए कच्चे माल एवं प्रक्रिया की परिस्थितियाँ विशिष्ट होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स व्यापार और उपयोग के दृष्टिकोण से एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।

6. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 और 38 के अंतर्गत आता है। पीयूसी मुख्य रूप से निम्नलिखित एचएस कोड्स के अंतर्गत भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहा है: 29071990, 29072990, 29096000, 29096090, 29181990, 29182910, 29182990, 29183090, 29189990, 29202910,

29202930, 29202990, 29209000, 29209090, 29241990, 29242990, 29280090, 29309099, 29336990, 29339990, 38112900, 38119000, 38122090, 38123910 और 38123990। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे के लिए बाध्यकारी नहीं है।

7. आवेदक ने सीएएस संख्याओं के आधार पर एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रकारों को अलग-अलग पीसीएन (पीसीएन) के रूप में विचार करने का प्रस्ताव किया है:

- क) 6683-19-8, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1010 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम पेंटाएरीथ्रिटोल टेट्राकिस (3-(3,5-डाई-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिल) प्रोपियोनेट) है।
- ख) 2082-79-3, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1076 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ऑक्टाडेसिल-3-(3,5-डाई-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिल)-प्रोपियोनेट है।
- ग) 31570-04-4, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 168 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ट्रिस(2,4-डाई-टर्ट-ब्यूटाइलफेनिल) फॉस्फाइड है।
- घ) 23128-74-7, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1098 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम एन,एन'-हेक्सेन-1,6-डाइइल बिस(3-(3,5-डाई-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिल)प्रोपियोनामाइड) है।
- ङ) 125643-61-0, जिसे एंटीऑक्सीडेंट L135 या 1135 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम बेंजीनप्रोपेनोइक अम्ल, 3,5-बिस (1,1-डाईमेथाइलएथाइल)-4-हाइड्रॉक्सी-, सी7-9-ब्रांच्ड एल्काइल एस्टर्स है।
- च) उपर्युक्त (क) से (ङ) में उल्लिखित संबंधित एंटीऑक्सीडेंट्स के मिश्रण।

8. इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे जांच प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रस्तावित पीसीएन पद्धति (पीसीएन कार्यप्रणाली) पर अपनी टिप्पणियाँ/सुझाव प्रस्तुत करें। इच्छुक पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी टिप्पणियों को प्रासंगिक साक्ष्यों के साथ प्रमाणित करें।

#### ख. समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि संबंधित वस्तुएँ, जिनके भारत में पाटित होने का आरोप लगाया गया है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। दोनों उत्पादों की तकनीकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता, कार्यप्रणाली और अंतिम उपयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि दोनों उत्पाद प्रथम दृष्टया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे के प्रतिस्थापनीय हैं। अतः, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबंधित देशों से आयातित संबंधित वस्तुओं के लिए 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

#### ग. संबंधित देश

10. वर्तमान जांच में संबंधित देश चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर हैं।

#### घ. जांच की अवधि

11. आवेदक ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 (12 माह) की अवधि को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित अवधि को स्वीकार किया है। जांच के लिए क्षति अवधि में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच की अवधि को शामिल किया जाएगा।

**ड. घरेलू उद्योग और स्थिति**

12. आवेदन मैसर्स विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (वीओएल) द्वारा दायर किया गया है, जिसने अक्टूबर 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया था। भारत में दो अन्य उत्पादक भी हैं, अर्थात् एचपीएल एडिटिव्स लिमिटेड (एचपीएल) और कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (क्रिस्टोल)।

13. आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही वह संबंधित वस्तुओं के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित है।

14. उपलब्ध सूचना के आधार पर तथा समुचित जांच-पड़ताल के पश्चात, प्राधिकारी ने नोट किया है कि आवेदक का उत्पादन भारत में कुल उत्पादन का "एक प्रमुख भाग" है। अतः, नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत आवेदक घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन पाटन-रोधी नियमों के नियम 5(3) के अंतर्गत स्थिति (स्थिति) संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

**च. कथित डंपिंग का आधार****क) चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य**

15. घरेलू उद्योग ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख एवं उस पर निर्भरता व्यक्त की है तथा यह दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य (चीन पीआर) को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (गैर-बाजार अर्थव्यवस्था) के रूप में माना जाना चाहिए और चीन पीआर के उत्पादकों को यह सिद्ध करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ लागू हैं। यदि चीनी उत्पादक यह सिद्ध करने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत एवं मूल्य संबंधी जानकारी बाजार-आधारित है, तो सामान्य मूल्य (सामान्य मूल्य) का निर्धारण एंटी-डंपिंग नियमों की अनुसूची-1 के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार किया जाएगा।

16. घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुत किया है कि वह किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में प्रचलित मूल्य निर्धारण जानकारी या उत्पादन लागत प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि विचाराधीन वस्तुओं का लेन-देन अनेक कोड्स के अंतर्गत किया जा रहा है, इसलिए किसी बाजार अर्थव्यवस्था देश से किसी तीसरे देश के लिए वैश्विक व्यापार डेटा पर भी विचार नहीं किया जा सका। अतः तीसरे देश से अन्य देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, को किए गए मूल्य को सामान्य मूल्य (सामान्य मूल्य) के लिए नहीं माना जा सकता। इसलिए घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों के आधार पर किया है, जिसमें विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय (विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय) तथा लाभ के लिए उचित वृद्धि भी शामिल की गई है, जो उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार है।

17. प्रारंभ (प्रारंभ) के उद्देश्य से, विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य (सामान्य मूल्य) का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसे विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

**ख) कोरिया गणराज्य तथा सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य**

18. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि सिंगापुर तथा कोरिया गणराज्य (Korea RP) के घरेलू बाजार में विचाराधीन वस्तुओं की कीमत से संबंधित जानकारी/साक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया, तथापि सिंगापुर और कोरिया गणराज्य में मूल्य से संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार की जानकारी प्राधिकरण को भी किसी सार्वजनिक स्रोत से उपलब्ध नहीं है। अतः सिंगापुर तथा कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य (सामान्य मूल्य) का निर्धारण भारत में विचाराधीन वस्तुओं के उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया गया है, जिसमें विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा लाभ को भी सम्मिलित किया गया है।

**ग) निर्यात मूल्य**

19. भारत में आयातों के लिए रिपोर्ट किए गए सीआईएफमूल्य को, डीजीसीआई&एस सिस्टम्स के डेटा के अनुसार, निर्यात मूल्य (निर्यात मूल्य) के निर्धारण हेतु माना गया है। समुद्री मालभाड़ा (सागर माल), समुद्री बीमा (समुद्री बीमा), ऋण लागत (क्रेडिट लागत), कमीशन, बंदरगाह एवं हैंडलिंग शुल्क तथा इन्वेंट्री वहन लागत (इन्वेंट्री रखने की लागत) के लिए समायोजन किए गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा दावे किए गए शुद्ध निर्यात मूल्यों के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया (प्रथम दृष्टया) साक्ष्य उपलब्ध हैं।

**घ) डंपिंग मार्जिन**

20. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना 'एक्स-फैक्ट्री' स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि डंपिंग मार्जिन न केवल 'डी-मिनिमिस' (न्यूनतम) स्तर से ऊपर है, बल्कि काफी ज़्यादा भी है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि संबंधित देशों के निर्यातक संबंधित देशों से आने वाले माल की भारतीय बाज़ार में डंपिंग कर रहे हैं।

**छ. चोट और कारण का संबंध**

21. नुकसान के संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत पेश किए हैं जिनसे पता चलता है कि कथित डंप किए गए आयात के कारण नुकसान हुआ है। नुकसान की अवधि के दौरान आयात और घरेलू उद्योग के आर्थिक पैमानों से संबंधित जानकारी से पता चलता है कि संबंधित देशों से होने वाले आयात की मात्रा में वास्तविक रूप से वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता होने के बावजूद सापेक्षिक रूप से आयात का स्तर काफी अधिक है। आवेदक का दावा है कि डंप किए गए आयात के कारण कीमतों में जो गिरावट आई है - जो नुकसान की पूरी अवधि के दौरान बिक्री लागत के स्तर से नीचे रही है - उसने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका है, जिससे पूरी लागत वसूलने और उचित रिटर्न दर प्राप्त करने में बाधा आई है और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद घरेलू उद्योग की बाज़ार हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है। हालांकि नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है, लेकिन घरेलू उद्योग की क्षमता का बहुत कम उपयोग हो रहा है। इन्वेंट्री का स्तर काफी अधिक है। यह भी दावा किया गया है कि डंप किए गए आयात की मौजूदगी के कारण लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर रिटर्न के मामले में प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग ने वास्तविक और मानक लागत दोनों उपलब्ध कराई हैं, जिनसे पता चलता है कि इष्टतम स्तर पर क्षमता का उपयोग करने पर भी घरेलू उद्योग नुकसान में है। मात्रा और मूल्य पैमानों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

22. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संबंधित देशों से डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है।

**ज. एंटी-डंपिंग जांच की शुरुआत**

23. आवेदक द्वारा तय किए गए तरीके और फॉर्म में दिए गए आवेदन के आधार पर, और घरेलू उद्योग द्वारा पेश किए गए शुरुआती सबूतों के आधार पर—जो संबंधित देशों से आने वाले या वहां से एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट की डंपिंग, घरेलू उद्योग को हुए नुकसान और ऐसी कथित डंपिंग व नुकसान के बीच संबंध को साबित करते हैं—और एक्ट की धारा 9ए और ए डी नियमों के नियम 5 के अनुसार, अथॉरिटी संबंधित देशों से आने वाले या वहां से एक्सपोर्ट किए जाने वाले संबंधित सामानों की कथित डंपिंग के अस्तित्व, स्तर और असर का पता लगाने के लिए एंटी-डंपिंग जांच शुरू करती है। साथ ही, यह एंटी-डंपिंग झूठी की उस राशि की सिफारिश भी करेगी, जिसे लागू करने पर घरेलू उद्योग को हुए नुकसान को दूर किया जा सके।

**झ. प्रक्रिया**

24. जांच में एडी नियमों के नियम 6 में दिए गए प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

### ब. सूचना प्रस्तुत करना

25. सभी हितधारक पक्षों (इच्छुक पार्टियाँ) को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है। हितधारक पक्षों द्वारा सभी संचार एवं प्रस्तुतियाँ उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित केस आईडी - एडी/ओआई/033/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएँगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुतियों का वर्णनात्मक भाग (वर्णनात्मक भाग) खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में हो तथा डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।
26. संबंधित देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देशों की सरकारों, और भारत में संबंधित वस्तुओं से जुड़े ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है। उन्हें नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर, निर्धारित तरीके और फॉर्म में सभी ज़रूरी जानकारी जमा करने में सक्षम बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
27. कोई भी अन्य इच्छुक पक्ष नीचे बताई गई समय-सीमा के भीतर, तय किए गए तरीके और रूप में इस जांच से जुड़ी अपनी बात रख सकता है। जो भी पक्ष अथॉरिटी के सामने कोई गोपनीय जानकारी या दस्तावेज़ जमा करता है, उसे उसका एक ऐसा वर्शन भी उपलब्ध कराना होगा जो गोपनीय न हो, ताकि दूसरे इच्छुक पक्ष उसे देख सकें।
28. दिलचस्पी रखने वाले पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे इस जांच से जुड़ी किसी भी नई जानकारी के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ ट्रेड रेमेडीज़ (डीजीटीआर) की आधिकारिक वेबसाइट [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नज़र रखें। दिलचस्पी रखने वाले पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे डीजीटीआर की वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) पर नियमित रूप से जाएं ताकि वे इस जांच में हो रही आगे की गतिविधियों से अवगत रहें और समय-समय पर जारी होने वाले नोटिसों (जैसे प्रश्नावली के फॉर्मेट, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक का शेड्यूल, मौखिक सुनवाई का नोटिस, सुधार/संशोधन की सूचनाएं और ऐसी ही अन्य जानकारी) के बारे में जानकारी पाते रहें।

### ट. समय सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना इच्छुक पक्षों द्वारा सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपने पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी- एडी/ओआई/033/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) और गैर-गोपनीय संस्करण (एनसीवी), प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को सेतु पर परिचालित किए जाने या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटन-रोधी नियम, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्धारित कॉलम में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण होती है, तो प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों तथा पाटन-रोधी नियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।
30. सभी इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि के प्रकार सहित) के बारे में जानकारी दें और इस नोटिफिकेशन में बताई गई समय-सीमा के भीतर, केवल सेतु पोर्टल के ज़रिए अपने प्रश्नावली के जवाब जमा करें।
31. पीयूसी/पीसीएन कार्यप्रणाली के दायरे पर टिप्पणियाँ दाखिल करने की 15 दिन की अवधि, इस आरंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।
32. पीयूसी/पीसीएन में बदलाव के कारण समय बढ़ाना: अगर अथॉरिटी बाद में किसी नोटिस के ज़रिए पीयूसी और पीसीएन में ऐसा बदलाव करती है जो पहले प्रस्तावित नहीं था या जो शुरुआती नोटिफिकेशन से अलग है, तो 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह 15 दिनों का अतिरिक्त समय बदले हुए पीयूसी और पीसीएन के नोटिफिकेशन की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ़ में बताए गए 15 दिनों के अतिरिक्त समय का नियम उन मामलों में लागू नहीं

होगा जहाँ जाँच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन की कार्यप्रणाली (कार्यप्रणाली) में कोई बदलाव नहीं होता है। एडी नियमों के नियम 6(4) के अनुसार, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, आम तौर पर 15 दिनों के अतिरिक्त समय (अगर दिया गया हो) से ज़्यादा समय बढ़ाने के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

33. समय-सीमा बढ़ाने के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षों द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से, पैराग्राफ 28 में बताई गई मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पहले जमा किया जाना चाहिए। इस समय के बाद जमा किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### ठ. गोपनीय आधार पर जानकारी जमा करना

34. जब इस जांच में शामिल कोई पक्ष अथॉरिटी के सामने गोपनीय जानकारी या सबमिशन देता है, तो उस पक्ष को नियम 7(2) और इस संबंध में अथॉरिटी द्वारा जारी संबंधित ट्रेड नोटिस के अनुसार, उसी समय उस जानकारी का नॉन-कॉन्फिडेंशियल (गोपनीय न रहने वाला) वर्शन भी जमा करना होगा। ऐसा न करने पर जवाब/सबमिशन को खारिज किया जा सकता है।

35. अथॉरिटी के सामने कोई भी जानकारी या दस्तावेज़ (जिसमें उससे जुड़े परिशिष्ट/एनेक्स भी शामिल हैं) जमा करने वाले पक्षों को—जिसमें प्रश्नावली के जवाब भी शामिल हैं—गोपनीय और गैर-गोपनीय वर्शन अलग-अलग जमा करने होंगे।

36. सी जानकारीयों या दस्तावेज़ों पर हर पेज के ऊपर साफ़ तौर पर "कॉन्फिडेंशियल" (गोपनीय) या "नॉन-कॉन्फिडेंशियल" (गैर-गोपनीय) लिखा होना चाहिए। अगर किसी जानकारी पर ऐसा नहीं लिखा होगा, तो अथॉरिटी उसे 'नॉन-कॉन्फिडेंशियल' जानकारी मानेगी और अथॉरिटी को यह अधिकार होगा कि वह दूसरी इच्छुक पार्टियों को ऐसी जानकारीयों को देखने की अनुमति दे सके।

37. कॉन्फिडेंशियल वर्शन में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो स्वभाव से कॉन्फिडेंशियल है और/या ऐसी अन्य जानकारी जिसे जानकारी देने वाला कॉन्फिडेंशियल बताता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे स्वभाव से कॉन्फिडेंशियल बताया गया है, या जिस जानकारी को अन्य कारणों से कॉन्फिडेंशियल बताया गया है, जानकारी देने वाले को दी गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का स्टेटमेंट भी देना होगा कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

38. संबंधित पक्षों द्वारा जमा की गई जानकारी का नॉन-कॉन्फिडेंशियल वर्शन, कॉन्फिडेंशियल वर्शन की हूबहू नकल होना चाहिए, जिसमें कॉन्फिडेंशियल जानकारी को इंडेक्स किया गया हो या छिपा दिया गया हो (जहाँ इंडेक्सिंग संभव न हो)। साथ ही, जिस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है, उसका उचित और पर्याप्त रूप से सारांश भी दिया जाना चाहिए।

39. गैर-गोपनीय सारांश इतना विस्तृत होना चाहिए कि उससे गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी के मुख्य अंश को ठीक से समझा जा सके। हालाँकि, खास मामलों में, गोपनीय जानकारी देने वाली पार्टी यह बता सकती है कि ऐसी जानकारी का सारांश नहीं बनाया जा सकता है; और ऐसी स्थिति में, सारांश क्यों नहीं बनाया जा सकता, इसका पर्याप्त और उचित कारण बताते हुए एक बयान अथॉरिटी को देना होगा जो उन्हें संतुष्ट कर सके।

40. दिलचस्पी रखने वाले पक्ष, दूसरे दिलचस्पी रखने वाले पक्षों द्वारा दस्तावेज़ों का नॉन-कॉन्फिडेंशियल वर्शन जमा करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय दे सकते हैं।

41. अथॉरिटी, जमा की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि अथॉरिटी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, या यदि जानकारी देने वाला व्यक्ति जानकारी को सार्वजनिक करने या उसे सामान्य या संक्षिप्त रूप में प्रकट करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी को नज़रअंदाज़ कर सकती है।

42. अगर कोई सबमिशन बिना किसी सार्थक नॉन-कॉन्फिडेंशियल वर्शन या नियमों के नियम 7 और अथॉरिटी द्वारा जारी उचित ट्रेड नोटिस के अनुसार गोपनीयता के दावे पर पर्याप्त और उचित कारण बताने वाले बयान के बिना किया जाता है, तो अथॉरिटी उसे रिकॉर्ड पर नहीं लेगी।

**ड. पब्लिक फ़ाइल का निरीक्षण**

43. किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा किए गए सबमिशन के सभी गैर-गोपनीय वर्शन, सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य इच्छुक पक्षों के लिए उपलब्ध होंगे।

**ढ. असहयोग**

44. अगर कोई इच्छुक पक्ष जानकारी देने से मना करता है, या उचित समय के भीतर या अथॉरिटी द्वारा इस शुरुआती नोटिफ़िकेशन में तय समय के अंदर ज़रूरी जानकारी नहीं देता है, या जाँच में काफ़ी रुकावट डालता है, तो अथॉरिटी ऐसे इच्छुक पक्ष को असहयोगी घोषित कर सकती है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकती है और केंद्र सरकार को अपनी समझ से सही सिफ़ारिशें कर सकती है।

अमिताभ कुमार ,निर्दिष्ट प्राधिकरण

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Directorate General of Trade Remedies)**

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th June, 2026

**Case No. AD(OI) - 033/2026**

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Certain Antioxidants” originating in or exported from China PR, Korea RP and Singapore.**

1. **F. No. 6/33/2026-DGTR:-** Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules" or the "Anti-dumping Rules"), M/s. Vinati Organics Limited (hereinafter also referred to as “VOL” or "Applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Certain Antioxidants" (hereinafter referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC"), originating in or exported from China PR, Korea RP, and Singapore (hereinafter referred to as "subject countries").

2. The applicant has alleged that dumped imports of the subject goods from China PR, Korea RP, and Singapore are causing material injury to the domestic industry and has requested for the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries. The applicant has also sought provisional duties on the subject imports.

**A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

3. The product under consideration in the present investigation is “Certain Antioxidants” conforming to the following CAS nos., or their equivalent, and blends thereof:

- 6683-19-8, also known as Antioxidant 1010 and its equivalents. The chemical name is Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate).
- 2082-79-3, also known as Antioxidant 1076 and its equivalents. The chemical name is Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate.
- 31570-04-4, also known as Antioxidant 168 and its equivalents. The chemical name is Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite.

- d. 23128-74-7, also known as Antioxidant 1098 and its equivalents. The chemical name is N,N'-hexane-1,6-diylbis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionamide)).
- e. 125643-61-0, also known as Antioxidant L135 or 1135 and its equivalents. The chemical name is Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, C7-9-branched alkyl esters.
- f. Blends of subject antioxidants referred to at (a) to (e).

4. Antioxidant additives in polymers are essential to prevent oxidation. Plastic products are manufactured at high temperatures which compromises the raw polymers, as they are exposed to a process called thermal oxidation. For the polymer to remain stable, antioxidants are introduced during the manufacturing process. They are majorly used in petrochemical companies producing plastics like polyolefins, styrenics, PVC, etc. as the stabiliser/ additives. They are also used during the manufacturing of plastic components using base raw materials like polyolefins, styrenics, PVC, etc and in the rubber, oil, coatings and, lubricant industry to provide long term stability and durability.

5. The applicant has submitted that the different forms of Antioxidants considered within the PUC definition constitute one product. It is seen that while the specific composition and properties of these antioxidants may differ to meet specific end requirements, these subject antioxidants are primarily used as additives in plastics and share a common functionality. Further, the production equipment, the production process and the resultant characteristics are largely the same. Raw materials and process conditions are specific to each antioxidant. Antioxidants are closely interlinked in trade and usage.

6. The product under consideration falls under Chapter 29 and 38 of the Customs Tariff Act, 1975. The PUC is mainly entering the Indian market under the following HS codes: 29071990, 29072990, 29096000, 29096090, 29181990, 29182910, 29182990, 29183090, 29189990, 29202910, 29202930, 29202990, 29209000, 29209090, 29241990, 29242990, 29280090, 29309099, 29336990, 29339990, 38112900, 38119000, 38122090, 38123910, and 38123990. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

7. The applicant has proposed considering the types of Antioxidants as different PCN, based on the CAS nos.:

- a) 6683-19-8, also known as Antioxidant 1010 and its equivalents. The chemical name is Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate)
- b) 2082-79-3, also known as Antioxidant 1076 and its equivalents. The chemical name is Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate
- c) 31570-04-4, also known as Antioxidant 168 and its equivalents. The chemical name is Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite.
- d) 23128-74-7, also known as Antioxidant 1098 and its equivalents. The chemical name is N,N'-hexane-1,6-diylbis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionamide)).
- e) 125643-61-0, also known as Antioxidant L135 or 1135 and its equivalents. The chemical name is Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, C7-9-branched alkyl esters.
- f) Blends of subject antioxidants referred to at (a) to (e).

8. The interested parties are advised to furnish their comments/suggestions on the proposed PCN methodology within 15 days from the date of initiation of the investigation. The interested parties are required to substantiate their comments with relevant evidence.

#### **B. LIKE ARTICLE**

9. The applicant has claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the technical specifications, quality, functions and end use of the two products. The Authority notes that the two are *prima facie* technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present investigation, the product produced by the applicant in India is being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject countries.

#### **C. SUBJECT COUNTRIES**

10. The subject countries in the present investigation are China PR, Korea RP, and Singapore.

#### **D. PERIOD OF INVESTIGATION**

11. The applicant has proposed January 2025 – December 2025 (12 months) as the period of investigation. The Authority has considered the period proposed by the applicant for the purpose of the present investigation. The injury period for the investigation will cover the periods 2022-23, 2023-24, 2024-25, and the period of investigation.

**E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

12. The application has been filed by M/s Vinati Organics Limited (VOL) which commenced commercial production in October 2022. There are two other producers in India i.e., HPL Additives Limited (HPL) and Krishna Antioxidants Pvt Ltd. (Cristol).

13. The applicant has certified that it has not imported the subject goods from the subject countries nor is it related to any exporter or importer of the subject goods.

14. On the basis of information available and after due examination, the Authority notes that production by the applicant constitutes "a major proportion" of total Indian production. Thus, the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b), and the application satisfies the requirements of standing under Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules.

**F. BASIS OF ALLEGED DUMPING****a) Normal Value for China PR**

15. The domestic industry has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the manufacture, production, and sale of the product under consideration. If Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-dumping Rules.

16. The domestic industry has submitted that it was unable to obtain pricing information or production costs prevailing in market economy country. Further, since the subject goods are being transacted under multiple codes, global trade data for any market economy to third country could also not be considered. Therefore, price from third country to other country, including India, could not be considered for normal value. The domestic industry has thus constructed the normal value based on the best estimates of cost of production in India as per the best information available with reasonable addition for selling, general & administrative expenses, and profits.

17. For the purpose of initiation, the normal value for the product under consideration has been determined based on cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

**b) Normal Value for Korea RP and Singapore**

18. The domestic industry has claimed that efforts were made to get information/evidence of the price of the subject goods in the domestic market of Singapore and Korea RP, however, data relating to price in Singapore and Korea RP were not available. Such information is also not available with the Authority from any public source. The normal value for Singapore and Korea RP, thus, has been considered on the basis of best estimates of cost of production of subject goods in India along with associated selling, general & administrative expenses, and profits.

**c) Export Price**

19. The CIF price reported for imports into India, as per DGCIS Systems data has been considered for the determination of export price. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, credit cost, commission, port and handling charges and inventory carrying cost. There is sufficient *prima facie* evidence with regard to the net export prices claimed by the domestic industry.

**d) Dumping Margin**

20. The normal value and export price have been compared at ex-factory level which *prima facie* shows that dumping margin is not only above the *de-minimis* level but also significant. There is sufficient *prima facie* evidence that the subject goods from the subject countries are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

**G. INJURY AND CAUSAL LINK**

21. With regards to the injury, the domestic industry has furnished *prima facie* evidence showing injury suffered because of alleged dumped imports. The information concerning imports and economic parameters of the domestic industry over the injury period show that the volume of subject imports from subject countries has increased in absolute terms. Imports in relative terms are significant despite existence of sufficient production capacities with the domestic industry. Applicant has claimed that price depression caused by dumped imports, which has been below the level of cost of sales throughout the injury period, has prevented the domestic industry from increasing its prices to recover the full cost and achieve a reasonable rate of return, resulting in the domestic industry suffering losses. Market share of the domestic industry is relatively low, despite having capacity to cater to Indian demand. While production and sales of the domestic industry have increased over the injury period, capacity with the domestic industry remains grossly underutilized. The level of inventories is significant. It has further been claimed that due to presence of dumped imports, performance has been adversely affected in terms of profitability, cash profits, and ROI. The

domestic industry has also provided both actual and normated cost showing that even considering utilisation at optimum levels, the domestic industry is in losses.

22. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows injury being caused to the domestic industry due to dumped imports from the subject countries.

#### **H. INITIATION OF THE ANTI-DUMPING INVESTIGATION**

23. On the basis of the application filed by the applicant in the form and manner prescribed, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an antidumping investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### **I. PROCEDURE**

24. The provisions stipulated in Rule 6 of the AD Rules shall be followed in this investigation.

#### **J. SUBMISSION OF INFORMATION**

25. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID- AD/OI/033/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

26. The known producers/exporters in subject countries, the government of subject countries through its Embassy in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limits set out below.

27. Any other interested party may also make submissions relevant to the present investigation in the form and manner prescribed within the time limits set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

28. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) and SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

#### **K. TIME LIMIT**

29. Any information relating to the present investigation must be uploaded by the interested parties on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding case ID- AD/OI/033/2026. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic would be circulated by the Authority in SETU or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

30. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.

31. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in this Initiation Notification.

32. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology, after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the AD Rules.

33. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified in this notification. Requests submitted after this time will not be considered.

**L. SUBMISSION OF INFORMATION ON A CONFIDENTIAL BASIS**

34. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

35. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and nonconfidential versions separately.

36. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

37. The confidential version shall contain all information that is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information that is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

38. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

39. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

40. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of submission of the non-confidential version of the documents by other interested parties.

41. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

42. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

**M. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

43. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

**N. NON-COOPERATION**

44. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority